

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2024-178

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

~~मुठीकाई~~

बनाम

बोयालाल

किस्म मुकदमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट

प्रकरण नं. 136/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावें । प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम <u>उठल</u> की आराजी नम्बर <u>640, 641, 642</u> <u>0.49, 0.05, 0.04</u> <u>= 0.58</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावें। कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नही की जावें। यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नही किया जाएं। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में इसी आशय का हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (राज.)